

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 09/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रमेशचन्द्र छीपा पुत्र रामनारायण बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
निवासी नन्दराय, तहसील कोटड़ी अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 28-03-2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 25.01.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन निर्धारित शुल्क राशि 10/- ₹0 के पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 535411 के साथ दिनांक 08.12.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 31.01.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी

किया गया।



(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा